Website: http://www.allofficetool.com

NOTE FOR JUSTIFICATION

राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0–6667/।।।(2)13–32 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक–22.07.2013 द्वारा रू0 49.95 लाख की प्राप्त हुई थी। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात दिनांक–15.11.2014 को मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–219 थी। तत्पश्चात मोटर मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर हस्ताक्षरोपरान्त ऑनलाइन कर दिया गया था। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर , फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून के पत्रांक सं0–1003/14272/2015, दिनांक–14.10.2019 द्वारा प्रस्ताव को अपत्तियों में लौटाया गया, **कि यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/टिप्पणी उपलब्ध कराई जाए।** जिसके अनुपालन में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग के पत्रांक सं0–851/12–1, दिनांक–25.10.2019 पुनः कार्यस्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। दिनांक–04.12.2019 को पुनः कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 448 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिसमें कि मुख्यतः 0–10 डायमीटर के चीड़ के वृक्षों की गणना में भिन्नता पाई गयी, भिन्नता का मुख्य कारण यह है कि दोनों निर्धारित संयुक्त निरीक्षण की तिथियों के मध्य 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, जिस कारण चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्राकृतिक रूप से चीड़ वन क्षेत्रों में उग आते है। इसके अतिरिक्त मार्ग के समरेखण, परियोजना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसको स्पष्ट करने हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र पुनः तैयार कर आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रेषित किये गये है। इसके अतिरिक्त पूर्व में ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव के अनुसार ही वर्णित गांव/तोक एवं मन्दिर लाभान्वित होंगें। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मोटर मार्ग के समरेखण से सम्बन्धित ग्रामों के एफ0आर0ए0 पूर्व में ही वनभूमि प्रस्ताव में ऑनलाइन किये जा चुके थे। जिनको पुनः तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप सिद्धपीठ राजराजेश्वरी के साथ–साथ ग्राम सभा मलकोट (ग्राम सभा कोड–042797) मोटर मार्ग से संयोजित हो जाएगा। मोटर मार्ग के कि0मी0–05 के अंतिम बिन्दु पर ग्राम सभा कांगड़ा का एक डोबला नामे तोक है, जिस स्थान पर कुछ परिवार निवास करते है,उक्त तोक भी इस मोटर मार्ग के कि0मी0–05 है0 मी0 (8–10) में संयोजित हो जायेगा। ग्राम सभा कांगड़ा पूर्व में ही मोटर मार्ग में संयोजित है, एवं इस मोटर मार्ग के नवनिर्माण के फलस्वरूप डोबला नामे तोक से कांगड़ा तक मिसिंग लिंक निर्माण हेतु लगभग 1 कि0मी0 अतिरिक्त मोटर मार्ग की आवश्यकता होगी। भविष्य में यदि उक्त 1 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य होता है, तो यह मोटर मार्ग यह एक रिंग रोड़ की तरह कार्य करेगा। (लाइन डायग्राम संलग्न), मोटर मार्ग का निर्माण क्षेत्रीय/स्थानीय जनता को राजराजेश्वरी मन्दिर तक जाने हेतु सुविधा एवं भविष्य में एक रिंग रोड़ निर्माण हेतु किया जा रहा है। मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरूप दूर–दूर के ग्रामवासी एक स्थान से दूसरे स्थान एवं सिद्धपीट राजराजेश्वरी मन्दिर तक आसानी से आवागमन कर सकेगें, एवं विभिन्न स्थानों के जनमानस भी मन्दिर के दर्शन का लाभ ले सकेगें। मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप ग्राम सभा कांगडा के विधार्थियों को इण्टर कॉलेज कैपार्स तक आवागमन एवं स्थानीय वासियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पैदल दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इस स्थान पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वनभूमि में मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, साथ ही मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप वन विभाग को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

Scanned with CamScanner